



चल/अचल सम्पत्ति की बिक्री/नीलामी करने हेतु पूर्व स्थगित विक्रय की उद्घोषणा/सूचना

(अचल सम्पत्ति के लिए परिशिष्ट 4क प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 8(6) का प्रावधान)

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि पूर्व में विक्रय की उद्घोषणा के तहत नीलामी कार्यवाही अग्रगणित तिथि, स्थान, समय पर की जायेगी। जिसमें ऋणी/संपत्ति मालिक श्री प्रदीप कुमार पाण्डेय पुत्र स्व.श्री रामाशीष पाण्डेय निवासी-प्लॉट नं 22 पुरानी नाकोडा कालोनी बारां द्वारा बारां नागरिक सहकारी बैंक लि.0 बारां की शाखा तेल फैक्ट्री एरीया बारां जिला-बारां राजस्थान से सं.लि.0 खाता 115 से ऋण ले रखा है। इनके जमानतदार/गारन्टर श्री देवकिशन नागर पुत्र श्री छोटलाल निवासी-जवाहर नगर हॉउसिंग बोर्ड बारां श्री हरीश नागर पुत्र श्री नवल किशोर नागर निवासी-जवाहर नगर हॉउसिंग बोर्ड बारां है। इनके द्वारा बैंक का बकाया ऋण जमा नहीं करवाया गया, इस कारण इनकी बैंक में रहन अचल सम्पत्ति की बिक्री के लिए नोटिस वित्तीय आस्तियों के प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के अन्तर्गत चल/अचल आस्तियों की बिक्री के लिए सार्वजनिक नीलामी बिक्री, दिनांक-17.04.2025 को दिन के 12 बजे से साय: 04 बजे तक बैंक प्रधान कार्यालय बारां पर की जावेगी। यह नीलामी प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 6(2) और 8 (6) के परंतुक के साथ पठित वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के अधीन होगी। आम जनता और खास तौर पर उधारकर्ता/बंधककर्ता और गारन्टर को यह सूचना दी जाती है कि नीचे वर्णित चल/अचल संपत्ति/संपत्तियों जो सुरक्षित ऋणदाता के पास बंधक/प्रभारित है, जिनका रचनत्त्व/भौतिक कब्जा पंचगणों की उपस्थिति में बारां नागरिक सहकारी बैंक लि.0 बारां द्वारा सुरक्षित ऋणदाता/गारन्टरो/पंचगणों के सम्पन्न ले लिया गया है, उनसे उल्लेखित खाते/खातों में बकाया राशि की वसूली के लिए "जहाँ है, जैसा है" और जो है, जो कुछ भी है" जिसके पास भी है" के आधार पर बेचा/सार्वजनिक बोली के द्वारा नीलाम किया जायेगा। उधारकर्ता/बंधककर्ता/गारन्टर/सुरक्षित संपत्ति/बकाया राशि/आरक्षित मूल्य/सार्वजनिक नीलामी तिथि और समय, बयाना राशि और बोली वृद्धि राशि का विवरण नीचे दिया गया है, के अनुसार की जावेगी। जो निम्नानुसार है तथापि बोली समाप्त होने से पहले ऋणी द्वारा बकाया राशि तथा खर्चा चुका दिये जाने की स्थिति में विक्रय बन्द कर दिया जावेगा। नीलामी की शर्तें बैंक के प्रधान कार्यालय नियर बस स्टेण्ड के पास बारां से सम्पर्क कर प्राप्त की जा सकती हैं। एवं बैंक की वेबसाइट www.bnsb.co.in में दिए लिंक पर भी देखें। आरक्षित मूल्य- 16.80 लाख ₹

क्र.0	उधारकर्ता/बंधककर्ता की विक्रय की जाने वाली सम्पत्ति का विवरण संपत्ति का निरीक्षण की तिथि एवं समय/कब्जे की स्थिति (रचनात्मक/भौतिक)	नीलामी दिनांक	नीलामी समय	नीलामी स्थान	बकाया ऋण राशि (₹) एवं आरक्षित मूल्य	गारन्टर/जमानतदार का नाम एवं पता
01	ऋणी/संपत्ति मालिक श्री प्रदीप कुमार पाण्डेय पुत्र स्व.श्री रामाशीष पाण्डेय निवासी-प्लॉट नं 22 पुरानी नाकोडा कालोनी बारां जिला बारां राजस्थान की अचल सम्पत्ति पिन - 325205 माल कल्याणपुरा खसरा नं -280 में प्लॉट सं-22 पर निर्मित मकान अवस्थित पुरानी नाकोडा कालोनी तेल फैक्ट्री बारांसाईज 30x42=1260 वर्गफीट आवासीय संपत्ति जिसमें ग्राउण्ड पर छः कमरे एक रसोई,पट्टी पोश, खुला चौक,जीना/सीढियाँ एवं प्रथम तल पर तीन कमरे आर.सी.सी. खुली छत जिसका मोरगेज दिनांक-04.01.2018 को चर्तुसीमाएँ-पूर्व-प्लॉट नं-23, पश्चिम- रास्ता, उत्तर- प्लॉट नं-21, दक्षिण-प्लॉट नं-35	17.04.2025	12 बजे से साय: 04 बजे तक	बैंक प्रधान कार्यालय भवन नियर बस स्टेण्ड बारां पर	(01) बकाया राशि:- ₹0 1379442.43 दिनांक-28.02.25 को एवं ब्याज 12 प्रतिशत ता तारीख, वसूली खर्चा 10 प्रतिशत तथा अन्य वसूली योग्य खर्च अतिरिक्त (02) आरक्षित मूल्य:- 16.80 लाख ₹.	1.श्री देवकिशन नागर पुत्र श्री छोटलाल निवासी-जवाहर नगर हॉउसिंग बोर्ड बारां मो-9001229250 2.श्री हरीश नागर पुत्र श्री नवल किशोर नागर निवासी-जवाहर नगर हॉउसिंग बोर्ड बारां मो-9784847111
02	दिनांक-30.11.2024 को पंचनामा अनुसार उक्त अचल सम्पत्ति का भौतिक कब्जा					

नीलामी की शर्तें :- जमानतदार नीलामी स्थल पर मौजूद रहे।

- रजिस्ट्रेशन राशि 5000/-₹ रहेगी, जो बैंक के प्राधिकृत अधिकारी/वसूली अधिकारी के पास दिनांक-16.04.2025 को दिन के 12 बजे से 17.04.2025 को दिन के 02 बजे तक नकद जमा करवा कर रसीद प्राप्त कर सकते हैं। नीलामी में भाग लेने हेतु इस रसीद का होना आवश्यक है।
- नीलामी बोली में बोलीदाता ही स्वयं उपस्थित होंगे, अन्य किसी व्यक्ति का प्रवेश निषेध होगा। नीलामी में भाग लेने वाले प्रत्येक बोलीदाता को अपना फोटोयुक्त परिचय पत्र, फोटो, पेन कार्ड, आधार कार्ड स्वयं के हस्ताक्षर प्रमाणित कर नीलामी बोली में रजिस्ट्रेशन राशि के साथ प्रस्तुत करना होगा।
- प्रथम न्यूनतम बोली आरक्षित मूल्य से अधिक होगी उसके बाद प्रति 1000/-₹ के गुणक मूल्य में नीलामी बोली बढ़ती रहेगी।
- नीलामी की अन्तिम बोली जिस व्यक्ति के नाम समाप्त होगी उसे बोली समाप्त के बाद 25 प्रतिशत राशि उसी दिन या 01 दिवस के अन्दर जमा करानी होगी, उक्त समयवाधि में राशि जमा नहीं होने पर जमा धरोहर राशि जब्त कर ली जावेगी, जिसकी समस्त जिम्मेदारी स्वयं बोली दाता की होगी।
- शेष बकाया नीलामी राशि 07 दिवस में बैंक के प्रधान कार्यालय बारां में बैंक के प्राधिकृत अधिकारी/वसूली अधिकारी के पास जमा करानी होगी। 07 दिवस में शेष नीलामी राशि जमा न होने की दशा में धरोहर राशि सहित 25 प्रतिशत जमा राशि भी जब्त कर ली जावेगी जिसकी समस्त जिम्मेदारी स्वयं बोली दाता की होगी।
- यदि प्रथम बोलीदाता उक्त नीलामी बोली राशि जमा नहीं करता है तो बैंक को अधिकार होगा कि द्वितीय बोलीदाता के पक्ष में नीलामी बोली छोड़ सकता है अथवा नीलामी निरस्त कर सकता है।
- नीलामी बोली उस समय तक अस्थाई होगी, जब तक प्राधिकृत अधिकारी उसे स्वीकार न करें।
- नीलामी बोली उपरान्त बोलीदाता का नाम उनके द्वारा दिए गए रिकार्ड अनुसार ही मान्य होगा बाद में कोई परिवर्तन नहीं होगा।
- यदि ऋणी द्वारा नीलामी दिनांक से 30 दिवस में बकाया ऋण राशि, ब्याज, वसूली खर्च, एवं अन्य नीलामी से संबंधित खर्च सहित जमा करा दी जाती है तो बैंक को नीलामी बोली निरस्त करने का अधिकार होगा तथा बोली दाता की नीलामी राशि बैंक में प्रचलित सेविंग्स ब्याज दर सहित वापस लौटा दी जावेगी।
- चल एवं अचल सम्पत्ति की नीलामी वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन (अधिनियम) 2002 के अन्तर्गत की जावेगी।
- मौक पर अवस्थित अचल सम्पत्ति भौतिक/प्रतिकाल्म कब्जा या रचनात्मक कब्जा "जहाँ है, जैसी है" और जो है, जो कुछ भी है" जिसके पास भी है" के आधार पर यथास्थिति मौकानुसार ही नीलाम की जा रही है।
- उक्त अचल संपत्ति पर केन्द्र/राज्य सरकार/निगम/निकाय/संस्था आदि का किसी भी प्रकार का पूर्व/वर्तमान बकाया ड्यूज, एवं सम्पत्ति ट्रान्सफर खर्च केंटा को वहन करना होगा।
- नीलामी से सम्बन्धित किसी भी कार्यक्रम में परिवर्तन करने, अथवा बिना कोई कारण बताये बोली निरस्त करने का अधिकार निम्न अधोहस्ताक्षरकर्ता को होगा।
- विशेष जानकारी किसी भी कार्य दिवस एवं कार्यालय समय में बैंक के प्रधान कार्यालय बारां से प्राप्त की जा सकती है। अतः खरीदने के इच्छुक व्यक्ति/सज्जन मौक पर पधारकर बोली लगावे।

प्राधिकृत अधिकारी/विक्रय अधिकारी

ऋणी/संपत्ति मालिक श्री प्रदीप कुमार पाण्डेय पुत्र स्व.श्री रामाशीष पाण्डेय निवासी-प्लॉट नं 22 पुरानी नाकोडा कालोनी बारां जमानतदार-1.श्री देवकिशन नागर पुत्र श्री छोटलाल निवासी-जवाहर नगर हॉउसिंग बोर्ड बारां मो-9001229250

2.श्री हरीश नागर पुत्र श्री नवल किशोर नागर निवासी-जवाहर नगर हॉउसिंग बोर्ड बारां मो-9784847111

प्राधिकृत अधिकारी/विक्रय अधिकारी